

डिग्री बमुकदमें ईब्बदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 333/2019

1. हरबंशसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
वादी

बनाम्

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जसपालकौर पत्नी जन्टासिंह पुत्री जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी चोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बलविन्द्रसिंह पुत्र जन्टासिंह जाति जटसिख निवासी चोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।  
प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी हरबंशसिंह व प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्रसिंह को ब०हि०ब० चकनं० 8 एसएलडबल्यू के प०न० 206/307 मु० 37 किलानं० 19,20, प०न० 205/307 मु० 36 किलानं० 16,17,18,19,22/.127 है० पूर्वी दिशा तथा प्रतिवादी सं० 3 बलविन्द्रसिंह को चकनं० 8 एसएल डबल्यू के प०न० 205/307 मु० 36 किलानं० 21,22/.126 है० पश्चिम दिशा, प०न० 205/308 मु० 51 किलानं० 2/1/.228, 2/2/.025 है० रास्ता की भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 8 एसएल डबल्यू के खाता सं० 65/56 में से प्रतिवादीया सं० 2 जसपालकौर का हिस्सा कम व इसी चक के खाता सं० 105/55 में से प्रतिवादीसं० 2 जसपालकौर का नाम कलमजन तथा बलविन्द्रसिंह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....४५/१०/१९.....को जारी किया गया।



( मीनू वर्मा )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी